कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. 1147 / तक / मप्रग्रासप्रा / 2024 बालाघाट दिनांक 05/06/2024

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल (सा.) बालाघाट

विषय :– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत भैसवाही से जाल्दीदंड तक सडक निर्माण कार्य किये जाने हेतु उत्तर बालाघाट की 9.912 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 9.954 हैं.) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रंमांक FP/MP/Road/155407/2022)

संदर्भ :– 1. वनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट का पत्र क्रं. 334 / तक.अ. / बालाघाट दिनांक 20.02.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1192 / 2022 / 10–11 / 1118 भोपाल दिनांक 19.02.2024

----00----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में लेख अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत भैसवाही से जाल्दीदंड तक सडक निर्माण कार्य किये जाने हेतु उत्तर बालाघाट की 9.912 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 9.954 हैं.) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के तहत NPV तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशो के तहत राशि केम्पा मद में जमा कर ऑनलाईन चालान की प्रति एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण की गई है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्ते (भाग A अन्तर्गत 1 से 15, भाग B अन्तर्गत 1 से 16) का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू (NPV) की दर निर्धारित की जाती है तो उक्त आकलित अंतर की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी लिखित वचन पत्र मय अभिलेख सहित आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया भैसवाही से जाल्दीदंड मार्ग निर्माण हेतु 9.912 हेक्टयेर वन भूमि में सड़क निर्माण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

पृ. क्र. 1148 / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2024 बालाघाट, दिनांक 05/06/ 2024

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. उप वनमंडलाधिकारी बैहर (सा.) उपवनमंडल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
5. वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर (सा.) परिक्षेत्र की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

Name of Road - Bhaiswahi to Jaldidand,

Proposal No. - FP/MP/Road/155407/2022 9.912 Hact.

क्र.	वन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्ते	आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन
A	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.**	
1	Cost of compensatory afforestation on the 19.824 ha. (out of 30.00 ha.) Chhote-Bade Jhad ka Jungle at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including cost of survey demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land againgst encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate. provisions for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	आवेदक संस्था द्वारा प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के बदले प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/155407/2022 में उपलब्ध कराई गई कुल 19.824 हेक्टेयर (बडे झाड का जंगल) गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति की राशि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की एकजाई राशि रूपये 19110692.00 रूपये परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन दिनांक 31.05..2024 को केम्पा मद में जमा करा दी गई है। (संलग्न)
2	Chhote-Bade Jhad ka Jungle land shall be transferred and mutated in fovour of state forest department and documents shall be submitted.	उक्त गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम हस्तातंतरण करा दी गई है। ग्राम गौनाझोला प.हं.नं. 45 खसरा नं. 8 तह. परसवाडा जिला बालाघाट की राजस्व भूमि कलेक्टर बालाघाट के आदेश पत्र पृ. क्रं. रा.प्र.क./13/अ–59 वर्ष 22–23 दिनांक 12.10. 2022 एवं संशोधित आदेश पत्र पृ. क्रं. रा.प्र.क. /13/अ–59 वर्ष 22–23 दिनांक 05.04.2023 द्वारा वन विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। **खसरा P2 की छायाप्रति संलग्न है।**
3	Chhote Bade Jhad ka Jungle land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as reserved forest under section-4 or protected forest under section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section (S) of the State Forest Act, A Copy of the same may be submitted Stage-I compliance report.	वन विभाग से संबंधित है।
4	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 9.912 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	FP/MP/ROAD/155407/2022 की NPV की राशि रू. 12177784.00 कुल राशि रू. 31288476.00 परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन दिनांक 31. 05..2024 को केम्पा मद में जमा करा दी गई है। **(छायाप्रति संलग्न है।)**

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
प्ररि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	वैकल्पिक वृक्षारोपण में NPV की राशि ऑनलाईन केम्पा मद में जमा कर दी गई है।
6	Complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the cocreneded District Collector.	FRA प्रमाण पत्र कलेक्टर बालाघाट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजा गया है। **(छायाप्रति संलग्न है।)**
7	All conditions of CWLW/SBWL/NBWL shall be stricty complied wherever applicable.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
8	Dispite repeated requests. The site inspection report is not being provided by the concerned CF. It seems that the concerned CF is not aware of the sensitivity of the proposals. Concerned CF will himeself inspect all the routes and submit a report as desired by the regional Empowered committee (REC). along with the compliance report. if any changes are required in acordance with his report they shall be incorporated and proposal amennded accordingly.	वन विभाग से संबंधित है।
9	The concerned DFO shall examine the forest area proposed for diversion along with KML. Prepared for the same and submit a cerfificate about correctness of the KML file as per field conditions and updated working plan forest boundary.It shall also be certified that, the village along the proposed alignment is a notified revenue village outside the forest boundary as per the updated working plan boundary.	शर्त 5 के पालन में NFL and DFL गैर वन भूमि एवं वन भूमि पर तैयार CA योजना की KML File परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
10	The User Agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.	मार्ग की चौडाई 7.50 मी. पेड लगाना संभव नही है मार्ग के दोनो किनारे में पूर्व से ही पेड लगे हुए है। वन अधिकारी वनमंडल के द्वारा वृक्षारोपण किया जाना है।
11	The User agency shall submit on undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Emabankment बनाने में किया जावेंगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेंगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेंगा। **(वचन पत्र संलग्न है।)**
12	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.	व्यपवर्तित वन क्षेत्र की KML File, e-Green Watch अपलोड कर दी गई है।

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
प्ररि.कियान्वयन इकाई कं. 1 बालाघाट

13	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation). Act 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC date 28/03/2019	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
14	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रथम चरण में अधिरोपित शर्तो A & B का पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
15	In case working permission is granted by the State Forest Department a copy of the same shall be submitted with copliance report of Stage-I approaval.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
B	**Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval**	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 19.824 ha. (out of 30.00 ha.) Chhote - Bade Jhad ka Jungle land at Khasra No. 08 Village Gonajhola, Tehsil- Paraswada District-Balaghat at the cost of the user angcy. As far as possible a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species especially non native species shall be avoided.	वन विभाग से संबंधित है।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert. Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। **(वचन पत्र संलग्न है)**
4	No tree felling shall be involved in the implementation of this project.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
5	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
6	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	इस संबंध में अनुरोध है कि यह Road Singal lane है तथा किनारे–किनारे वृक्ष लाये हुए है। अतः वृक्षारोपण की आवश्यकता नही है।

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/155407/2022 **9.912 Hact.**

7	Speed regulating signage will be erected all along the road at regular intervals in the protected Areas/forest Areas.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
8	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
9	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to Prevent any damage and pressure on the nearby forest.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	The period of diversion under this approval shall be co - terminus with the project life.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
14	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts. Rules, Regulation, Guidelines. Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The forest land proposed to be divered shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
16	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

UTR Number	CBINR52024053110011763		
Value Date:	31/05/2024		
Amount	31288476.000	INR	
Related Ref.No:		Commission	49.500

Ordering Institution:

Beneficiary Details

Beneficiary A/C: 1507661155407934

Benef. Name And Address:

/M1507661155407934

MADHYA PRADESH

Remitting Customer Details

Account Number: 00000001793102296

Remitter's Name And Address:

00000001793102296

ADMINISTRATIVE A C MPRRDA

BLOCK2

PARYAVASBHAWAN

Account Institution:

Beneficiary bank/branch

IFSC Code: UBIN0996335

Sender's To Receiver Information

Details of Payment:

AAATM9054A

Error Code

Close

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्र. 1 बालाघाट

31-05-2024

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/ROAD/155407/2022 Bhaiswahi to Jaldidand Under RCPLWEA Scheme	ROAD1554072022934	61155407934	13-Feb-24	CA: 3140999/- , Addl CA : 15969693/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 12177784/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 31288476/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 24-May-24 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 24-May-24 Transaction Date : 31-May-24	Demand Letter Generated Challan

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई कं. 1 बालाघाट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11090887148

ग्राम: गौना झोल्रा			पटवारी हल्का: खुरसुड़			तहसील: परसवाड़ा			जिला: बालाघाट		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के ब्यौरे: फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1569888382 800D27DDBE7BH0	8/2 (S)		30.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0013/अ-59/2022-23, आदेश दि. 05/04/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । सरकार चांदा 3 ना.दु.जि.पटेल रास्ता,बड़े झाड़ का जंगल

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

लोक सेवा केन्द्र बालाघाट (म.प्र.)

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.01.11 16:31:01 IST
Reason: Digital Extract of Land Record : Khasra Copy
CLR No. : 11090887148

-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 बालाघाट" द्वारा **"भैसवाही से जल्दीडांड सड़क निर्माण कार्य"** हेतु तहसील बैहर के **आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र क्रमांक 1558, 1501, 1506, 1505, 1493, 1492, 1491 में रकबा 9.954 हेक्टेयर** वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।

2- ग्राम पंचायत गोहरा, पिपरिया जनपद पंचायत बैहर के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ /प्रतिक्रियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नही है एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नही किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।

3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति लांजी के द्वारा **"भैसवाही से जल्दीडांड सड़क निर्माण कार्य"** हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।

4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।

(सचिव)	**(सदस्य)**	**(अध्यक्ष)**
सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति	वन मंडलाधिकारी उत्तर (सा.) वन मंडल बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति	कलेक्टर जिला बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति

FORM-I

Annexure-I

(For Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

****

No..2275......

Dated...15/6/2023.....

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of Indias letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA,for short) on the forest land proposed to be diverled for non-forest purposes read with MoEF'sletter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain reiaxation in respect of lioner projects, it is certified that **9.954 hectares of** forest land proposed to be diverted in favour of **General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 01 Balaghat**, (name of user agency) for **Bheswahi to Jaldidand Road Construction Work** (purpose for diversion of forest land) in **Balaghat** district falls within jurisdiction of Baihar North Forest Division, Forest Range- Baihar Forest **Block Baihar Tah./Block Baihar, Village- Pipariya in Compartment No. 1558, 1501, 1506, 1505, 1493, 1492, 1491 Total Area 9.954 Hec. in** Forest land village(s) in **Baihar** tehsils.

It is further certified that:

(d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **9.954 hectares** of forest land proposed for diversion.A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s)and the District Level Committee are enclosed as annexure **01** to annexure **02.**

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been complaeted and the Gram Sabhas have given their consent. to it;

(f) (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above:

(Dr. Girish Kumar Mishra)
COLLECTOR
BALAGHAT

Signature
(full name and official seal of the District Collector)

–: Muck के उपयोग हेतु वचन पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत **भैसवाही से जाल्दीदंड तक** मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 1558, 1501, 1506, 1505, 1493, 1492, 1491 में रकबा 9.954 हेक्टेयर में प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Embankment बनाने में किया जावेंगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेंगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेंगा। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

–: NPV की अतिरिक्त राशि जमा संबंध में प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत **भैसवाही से जाल्दीदंड तक** मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 1558, 1501, 1506, 1505, 1493, 1492, 1491 में रकबा 9.954 हेक्टेयर में प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा गठित कमेटी द्वारा भविष्य में **NPV** की दर निर्धारित की जाती है एवं अधिरोपित शर्तानुसार अंतर की राशि मांग की जाती है तब अंतर की राशि भुगतान करने इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: वन क्षति नही किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत **भैसवाही से जाल्दीदंड तक** मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 1558, 1501, 1506, 1505, 1493, 1492, 1491 में रकबा 9.954 हेक्टेयर में प्रस्तावित वन भूमि में सड़क निर्माण के दौरान कोई भी वृक्ष नही काटे जावेगें। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट